न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 74/2023

1 किशोर सिंह पुत्र बख्तावर सिंह जाति राजपूत निवासी दुराना तहसील मण्डावा जिला झुंझुनू हाल निवासी मकान नम्बर 36 न्यू कॉलोनी खातीपुरा पुलिया के पास झोटवाड़ा जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1 जुबेदा पत्नी मोहम्मद ईस्माईल जाति मुसलमान निवासी गन्नो कॉलोनी, झुंझुनू पुराना वार्ड नम्बर 1 झुंझुनू नया वार्ड नम्बर 6 तहसील व जिला झुंझुनू।
2 महिपाल सिंह पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी आबुसर का बास तहसील व जिला झुंझुनू।
3 रघुवीर सिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपूत निवासी दुराना तहसील व जिला झुंझुनू।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू लैण्ड होल्डर तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

5 सुभाष पुत्र चौथमल जाति नायक निवासी अणगासर रोड़ झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
6 लालचन्द पुत्र चौथमल जाति नायक निवासी अणगासर रोड़ झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

7 तीजा देवी बेवा चौथमल जाति नायक निवासी अणगासर रोड़ झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।

तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा वाद संख्या 188/2011 बउनवानी जुबेदा बनाम महिपाल सिंह व अन्य में पारित किया गया।

अपील संख्या 73/2023

1 किशोर सिंह पुत्र बख्तावर सिंह जाति राजपूत निवासी दुराना तहसील मण्डावा जिला झुंझुनू हाल निवासी मकान नम्बर 36 न्यू कॉलोनी खातीपुरा पुलिया के पास झोटवाड़ा जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1 जुबेदा पत्नी मोहम्मद ईस्माईल जाति मुसलमान निवासी गन्नो कॉलोनी, झुंझुनू पुराना वार्ड नम्बर 1 झुंझुनू नया वार्ड नम्बर 6 तहसील व जिला झुंझुनू।

2 महिपाल सिंह पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी आबुसर का बास तहसील व जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

3 रघुवीर सिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपूत निवासी दुराना तहसील व जिला झुंझुनू।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू लैण्ड होल्डर तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

5 सुभाष पुत्र चौथमल जाति नायक निवासी अणगासर रोड़ झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
6 लालचन्द पुत्र चौथमल जाति नायक निवासी अणगासर रोड़ झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
7 तीजा देवी बेवा चौथमल जाति नायक निवासी अणगासर रोड़ झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।

तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 03.10.2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा वाद संख्या 188/2011 बउनवानी जुबेदा बनाम महिपाल सिंह व अन्य में पारित किया गया

उपस्थिति :

1. श्री धीरज बोयल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री उम्मेद भाम्बू, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री अनवर हसन, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री इन्द्रजीत शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 28.5.24

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 188/2011 में पारित निर्णय दिनांक 08.06.2012 एवं 03.10.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनो पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां पृथक—पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजूदा अपीलों के वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत घोषणा, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि वाके ग्राम दुराना तहसील झुन्झुनू जिला झुन्झुनू स्थित भूमि खसरा नम्बर 131 रकबा 29 बिघा 18 बिस्वा जिसके बट्टा नम्बर 131/1 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 132/2 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा बने जिसके भूमि खसरा नम्बर 131/1 के हाल खसरा नम्बर 146 रकबा 0.76 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 131/2 के हाल खसरा नम्बर 149 रकबा 1.42 हैक्टेयर खसरा नम्बर 150 रकबा 0.32 हैक्टेयर खसरा नम्बर 151 रकबा 5.06 हैक्टेयर इस प्रकार जमाबन्दी के अनुसार उक्त भूमि महिपाल, किशोर सिंह, रिकार्डेड खातेदार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वर्तमान में सुन्दर सिंह पुत्र करणी सिंह का स्वर्गवास हो गया है वादी द्वारा जरिये विकय पत्र दिनांक 15.05.2008 को सुन्दर सिंह ने वादीया/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जरिये पंजीकृत विकय पत्र के हाल खसरा नम्बर 149, 150, 151 में से 6 बीघा 9 बिस्वा का बैचान किया है तथा दिनांक 15.05.2008 को ही सुन्दर सिंह ने प्रतिवादी संख्या 3 रघुवीर सिंह को जरिये पंजीकृत विकय पत्र के हाल खसरा नम्बर 149, 150, 151 में से 14 बीघा का बैचान किया है। वादिया ने पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर अपने पति के साथ जाकर पटवारी हल्का से विकय पत्र की छाया प्रति देकर नामान्तकरण की कार्यवाही हेतु निवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का नामान्तकरण वादीया के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प ...)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

हक में नामान्तकरण नहीं खोला। तत्पश्चात विक्रय पत्र क्रमांक 583/8 दिनांक 15.06.1994 के आधार पर महिपाल सिंह के हक में नामान्तकरण की कार्यवाही कर नामान्तकरण संख्या 52 दर्ज व अंकित कर दिया, जो कि वादीया के हक व अधिकारों के विरूद्ध प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी है। जिसके संबंध में वादीया द्वारा उक्त वाद बाबत घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। दावा रजिस्टर किये जाने के पश्चात दिनांक 09.08. 2011 को प्रतिवादीगण के नोटिस जारी करने के आदेश पारित कर पत्रावली दिनांक 15.09.2011 को पेश होने की आदेशिका अंकित की गई। जिस पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 15.09.2011 को पत्रावली पर उपलब्ध नोटिस की तामील के संबंध में विधि द्वारा स्थापित प्रकिया को बिना अपनाये अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये। जबकि अपीलान्ट वादी द्वारा वाद में दर्शाये गये निवास स्थान पर निवास नहीं करता है अपितु पिछले 20 वर्षों से जयपुर में निवास करता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 05 सीपीसी के प्रावधानों के विपरित जाकर अपीलान्ट की तामील मानकर जो एकपक्षीय आदेश पारित किया। उक्त अपीलाधीन निर्णय के पश्चात बिना कुर्रेजात बनाने की सूचना अन्य पक्षकार को दिये बिना ही कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कराकर उसके आधार पर दिनांक 03.10.2012 को अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी। जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाधीन भूमि का नामान्तकरण विभाजन के आधार पर अपने नाम दर्ज कराकर उक्त भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 6 को विक्रय हस्तान्तरित कर दी। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ने विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज कराकर अपीलान्ट के चालू रास्ते को दिनांक 06.04.2023 को बंद कर दिया। जब अपीलान्ट ने उक्त के संबंध में रेस्पोडेन्ट से वार्तालाप की तो उन्होंने बताया कि जुबेदा द्वारा घोषणा व विभाजन के वाद में भूमि का विभाजन कराकर खातेदारी भूमि अपने नाम दर्ज कराकर भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 6 को विक्रय कर दी है। अब उक्त रास्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की भूमि तय किया जाता है जो उसकी खातेदारी भूमि है। उक्त कथन के पश्चात अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू में अपने अधिवक्ता के माध्यम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प ...)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * (झुन्झुनूं)

से अपीलाधीन भूमि के संबंध में संबंधित वाद की जानकारी की। जिसकी जानकारी होने पर दिनांक 10.04.2023 को नकल हेतु आवेदन किया जो नकल दिनांक 10.04.2023 को अपीलान्ट को प्राप्त हुई। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट के नोटिस ग्राम दुराना तहसील व जिला झुन्झुनू के पते पर प्रेषित किये। जबकि अपीलान्ट विगत 20 वर्षों से भी अधिक समय से अपने जयपुर स्थित आवास मकान नम्बर 36 न्यू कॉलोनी खातीपुरा पुलिया के पास, झोटवाड़ा जयपुर में मय परिवार निवास करता आ रहा है। ऐसे में स्पष्ट है कि अपीलान्ट को किसी प्रकार कोई नोटिस तामील नहीं हुआ। विचारण न्यायालय द्वारा जो प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2012 को पारित की गई थी उसकी पालना में जो कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई थी उससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने का कोई नोटिस व सूचना नही दी ना ही अन्य पक्षकारों को नोटिस व सूचना दी है। विचारण न्यायालय के आदेश अनुसार जो कुर्रेजात रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 23.08.2012 को तैयार की है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से पटवारी हल्का ने मिलीभगत कर अपीलान्ट के फर्जी हस्ताक्षर दर्ज कराये है अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय व कुर्रेजात रिपोर्ट की कोई जानकारी नहीं थी। विचारण न्यायालय ने प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में पटवारी हल्का द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट मौके पर जाकर तैयार नहीं की गई अपितु कार्यालय में बैठकर तैयार की है उसमें तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त करते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट करने के निर्देश दिये थे परन्तु कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु तहसीलदार मौके पर नहीं गये। जबकि कुर्रेजात रिपोर्ट से स्पष्ट है कि पटवारी व गिरदावर के हस्ताक्षर दिनांक 23.08.2012 को किये गये है जबकि बिना पदनाम व मोहर तहसीलदार के हस्ताक्षर दिनांक 27.08.2012 को है। जिससे स्पष्ट है कि कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा न बनाई जाकर पटवारी हल्का द्वारा बनाई गई है जबकि विधि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुसार तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर स्वयं की देखरेख में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए थी। कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करते समय भूमि पर आने जाने हेतु जो रास्ता सुन्दर सिंह को विभाजन में दी गई भूमि में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि तक दिया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि के उपरान्त अपीलान्ट की भूमि दी गई है। जिसके संबंध में किसी प्रकार का कोई रास्ता अपीलांट को नही दिया गया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि जो कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये गये थे वो राजस्व मण्डल के विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना तैयार किये गये है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्राथमिक डिक्री जारी होने के पश्चात जो कुर्रेजात रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्राप्त हुई है उसमें यह आवश्यक था कि बंटवारा के लिये प्रत्येक सहखातेदार को रास्ता दिया जाना आवश्यक था परन्तु उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट में अपीलान्ट को किसी भी प्रकार का उक्त भूमि में आने जाने का रास्ता नहीं दर्शाया गया हैं। जबकि विभाजन के वाद में विभाजन करते समय प्रत्येक पक्षकार को रास्ता दिया जाना आज्ञापक हैं। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व इस कानूनी बिन्दू का भी कतई गौर नहीं किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष जो वाद घोषणा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का है उसमें वादअधीन भूमि के संबंध में नामान्तकरण संख्या 52 के संबंध में अपने न्यायिक निर्णय में किसी प्रकार की कोई विवेचना नहीं की। जबकि नामान्तकरण संख्या 52 विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को विधि के प्रावधानों के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विक्रय पत्र निरस्त करने हेतु वाद प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिया जाना आवश्यक था। विचारण न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू पर भी कतई गौर नहीं किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भूमि की खातेदार काश्तकार नहीं थी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कराकर राजस्व रिकार्ड में अंकन कराया जाना आवश्यक था। परन्तु विचारण न्यायालय ने बिना रेस्पोडेन्ट को खातेदार बनाये विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के धारा 53 के प्रावधानों के विपरीत है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

विचारण न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा जो वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें वादी द्वारा सिविल प्रकिया संहिता की धारा 80(2) का आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिस पर न्यायालय द्वारा कोई आदेश ही पारित नहीं किया गया है प्रत्येक अवस्था में यह आवश्यक होता है कि यदि माननीय न्यायालय में कोई भी प्रार्थना पत्र विचाराधीन है तो प्रथमतः प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाना आवश्यक होता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 सुन्दर सिंह द्वारा भूमि ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को भूमि विकय की थी एंव रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के पिता भूमि विकय की है। ऐसी स्थिति में उन्हें अपील में पक्षकार बनाया गया है। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत प्रस्तुत है जिसके आधार पर अपील प्रस्तुतिकरण में हुआ विलम्ब माफ किया जाकर अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में सभी पक्षकारों की सम्यक तामिल हुई है। विचारण न्यायालय में विधिक प्रकिया की पालना कर बाद सुनवाई प्राथमिक डिकी जारी की है। प्राथमिक डिकी की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर बाद सुनवाई अन्तिम डिकी पारित की है। विभाजन प्रस्ताव में अपीलांट के हस्ताक्षर है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय में एकपक्षीय कार्यवाही मनसुख करवाने अथवा प्राथमिक डिकी को निर्धारित समय में चुनौती देने की कोई कार्यवाही नही की है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का सन्तोषप्रद कारण अंकित नही किया है। प्रस्तुत अपील 7 साल के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को दिनांक 09.08.2011 को दिनांक 15.09.2011 के लिये साधारण नोटिस जारी किये गये है। इसके उपरान्त अपीलांट को कोई नोटिस जारी नही किया गया है। इस नोटिस की पुस्त पर तामील कुनिन्दा ने अंकित किया है कि किशोर सिंह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

घर पर मौजुद मिला। नोटिस लेने से मना किया। नोटिस की प्रति उनके गोद में डाली गई। विचारण न्यायालय ने इस तामील को सम्यक मानते हुये एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश जारी किये है। तामील के सन्दर्भ में स्पष्ट प्रावधान है कि तामील लेने से इन्कार करने पर न्यायालय के आदेश से चस्पान्दगी की कार्यवाही होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 20 में बिना न्यायालय के आदेश के नोटिस लेने से इन्कार करने पर प्रतिवादी की गोद में तामील डालने का कोई विधिक प्रावधान नही है। विचारण न्यायालय ने इसे नजर अन्दाज करते हुये तामील सम्यक मानी है। जबकि विचारण न्यायालय को विधिक प्रक्रिया अनुसार रजिस्टर्ड नोटिस के आदेश दिये जाने चाहिए थे। विचारण न्यायालय ने ऐसी कोई विधिक कार्यवाही नही की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा की गई तामीली कार्यवाही विधि सम्मत नही मानी जा सकती है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर किशोर सिंह अंकित किया हुआ है। रेस्पोडेंट का कथन है कि अपीलांट विभाजन प्रस्ताव के समय मौके पर मौजुद था। विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये थे। उसे प्रकरण की प्रारम्भ से जानकारी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। इस सन्दर्भ में विचारण न्यायालय का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सूचना दी गई हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। विभाजन प्रस्ताव पर अंकित किशोरसिंह एवं अपील मेमों में अंकित किशोर सिंह के हस्ताक्षरों में जबरदस्त भिन्नता है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नही है जिससे यह माना जा सके कि अपीलांट को विचाराधीन निर्णय व डिक्री की पूर्व से जानकारी थी। ऐसी स्थिति में न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील नही हुई है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिका सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

गया है। विधिक प्रकिया की पालना नही की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिकी अपास्त किये जाते है. एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाब देही का अवसर प्रदान कर तनकी कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07. 2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 28.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम भोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर